

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली संख्या : 42/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर

आवेदक

बनाम

श्री पवन कुमार पुत्र श्री बृज किशन जाति वैश्य निवासी पुराना बाजार रूपवास,  
गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006  
एवं नियम 2011.

उपस्थित :- 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 15.03.2019

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दि. 30.07.2018 को प्रस्तुत किया गया है।  
गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 30.11.2018 को उपस्थिति हुआ।  
प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल  
गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 15.03.2019 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित  
आरोप सुनाया गया कि दिनांक 25.04.2018 को प्रातः 11.00 पर गैरसायल की दुकान का  
निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान में साक्षी ब्रान्ड चुस्की का विक्रय आम जनता के  
इस्तेमाल लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया  
तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच  
हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस-350/एक्ट/2018/369  
दिनांक 04.05.2018 द्वारा उक्त चुस्की/आईसकेण्डी नमूना अवमानक एवं मिथ्याछाप स्तर  
(Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का


*lv*  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
भरतपुर (राज.)

चुस्की/आईसकेण्डी आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैर सायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 25.04.2018 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित चुस्की/आईसकेण्डी का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 04.05.2018 में अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा स्वयं के स्तर पर चुस्की/आईसकेण्डी में कोई मिलावट नहीं करना तथा अन्य दुकान भरतपुर से क्रय करना जाहिर किया है। उनके द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थों का क्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। चूंकि गैरसायल के व्यापार परिसर पर 250 नग साक्षी ब्राण्ड चुस्की ही वक्त जांच निरीक्षण संग्रहित पाये गये है, जो गैरसायल द्वारा अन्य दुकानों से भी क्रय किया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। गैरसायल परचून का एक छोटा दुकानदार है तथा अल्प आयवर्गीय है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि जमा कोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दि. 15.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
भरतपुर